

21-3-18

वकील शर्मा अनुपस्थित।
 शर्मा शरण के वकील उपर
 शर्मा शरण की और वकील
 श्री भरत शर्मा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत
 जवाब प्रत्यक्ष दिनांक 2/2/18 को
 शर्मा शरण के संबंध वकील
 शर्मा को सुना गया। पतावली
 एवं राजस्व वाद पतावली का
 अवलोकन किया।

शर्मा साधु-1 के एडवोकेट
 ने निवेदन किया कि शर्मा
 शरण द्वारा प्रस्तुत वाद सा 118/07
 जो शर्मा 2, 3 एवं 4 के विरुद्ध
 प्रस्तुत किया गया था, दिनांक 18.5.17
 का निर्णय कर वाद डिस्मि किया
 जा चुका है। वाद में शर्मा नि
 श्चिन्तित पद्धतियां एवं सूझबूझ का
 शोषणकारी पक्षकार नहीं है एवं न ही
 वादाग्रस्त शर्मा स्वयं 256 एवं 57
 के सद्व्यवहार ही है, जो वाद में
 पक्षकार पक्षकार नहीं होने एवं
 उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया।
 वाद एक पक्षीय निर्णय होने का कारण
 गलत संवित है। शर्मा नि वा
 वाद का के कोई ~~कोई~~ लोकायुक्त
 नहीं है। शरण पर विधि विरुद्ध



व्यक्ति परिवोधनीय नहीं है।
 स्वकारिण व्यक्तियों का निर्देश
 दिया।

इस वकील का कार्य के
 सुसंगत तर्कों से सम्मान है। (काल)
 प्रार्थना - पत्र जारी स्वकारिण व्यक्ति
 जाता है। प्रशासकीय प्रसन्नता
 होकर सत्यापन से कम है।

(राजेश मैवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
 देसूरी (पाली)